

# न्यायलय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बगोदर-सरिया (गिरिडीह)

बनाम रमन महेन प्रथम पक्ष  
सुरेश चरण द्वितीय पक्ष

आदेश पत्रक


(देखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक ता० ..... से ..... तक  
जिला-गिरिडीह ।

वाद संख्या..... 66 ..... सन् 20 22

आदेश की क्रम सं० और तारीख	धारा 107 द०प्र०सं० आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1.	2.	3.
	<p>मै थाना प्रभारी <u>बिरना</u> के अप्राथमिकी संख्या <u>26/22</u> के अवलोकन से सुतुष्ट हूँ कि दोनों पक्षों के सदस्यों के बीच <u>पेटक बनाने का बंटवारा</u> को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया है, जिससे शांति भंग होने की संभावना बनी हुई है। जो मेरे सीमा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अतः उभय पक्षों के विरुद्ध धारा 107 द०प्र०सं० का प्रक्रिया प्रारंभ किया जाता है तदनुसार नोटिस निर्गत करें। अभिलेख दिनांक <u>01.04.2022</u> को रखें।</p> <p style="text-align: right;"><u>राज</u> अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बगोदर-सरिया।</p>	

की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
01/04/22	<p>अभिलेख उपस्थापित प्रथम पत्र (उपस्थित/द्वितीय पत्र अनुपस्थित) प्रथम पत्र आरोप से इन्कार करते हैं। द्वितीय पत्र से विद्वेष वा निर्गत करते।</p> <p>To 9/4/22</p> <p style="text-align: right;">— 1/4.</p>	
09/04/22	<p><del>प्रथम पत्र से सुटे नु</del> आरोप (उपस्थित/द्वितीय पत्र अनुपस्थित) प्रथम पत्र आरोप से इन्कार के लिये उपस्थित/वा से निर्गत हेतु स्मृत है।</p> <p>To 23/4/22</p> <p style="text-align: right;">— 9/4.</p>	
23/4/22	<p>उक्त पत्र अनुपस्थित</p> <p>To 24/6/22</p>	
24/6/22	<p>उक्त पत्र अनुपस्थित</p> <p>To 25/7/22</p>	
25/7/22	<p>उक्त पत्र अनुपस्थित</p> <p>To 13/8/22</p>	
13/8/22	<p>उक्त पत्र अनुपस्थित</p> <p>To 2/9/22</p>	

क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
2/9/22	उभय पक्ष अनुठ। TO 16/9/22	
06/9/22	उभय पक्ष अनुठ। TO 11/10/22	
1/10/22	उभय पक्ष अनुठ। 28/10/22	
28/10/22	उभय पक्ष अनुठ। 11/11/22	
11/11/22	उभय पक्ष अनुठ। TO 25/11/22	
25/11/22	उभय पक्ष अनुठ। TO 9/12/22	
9/12/22	उभय पक्ष अनुठ। TO 23/12/22	
23/12/22	<p>अभिलेख उपस्थापित। वाद के लिए निर्धारित जाँच की अवधि समाप्त होने के कारण वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।</p> <p style="text-align: right;"> कार्य० दण्डा० बगौदा - सविभा</p>	